रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25092020-221954
CG-MH-E-25092020-221954
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2020/आश्विन 2, 1942
No. 372] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2020/ASVINA 2, 1942

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 8 सितम्बर, 2020

**सं. टीएएमपी/21/2020-एनएमपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद् द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के माध्यम से वर्ष 2018-19 के दौरान कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा जेटी संख्या 8 से लौह अयस्क, फिंज सहित, केआईओसीएल कार्गो के नौभार के घाटशुल्क प्रभारों का नियतन, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, करता है।

**महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण**

**मामला संख्या टीएएमपी/21/2020-एनएमपीटी**

**न्यू मंगलोर पत्तन न्यास** —— **आवेदक**

**गणपूर्ति**

(i). **श्री टी.एस. बालसुब्रनियन, सदस्य (वित्त)**

(ii). **श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)**

**आदेश**

(सितंबर, 2020 के 7 वें दिन पारित)

यह मामला न्यू मंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त 23 अप्रैल, 2020 के न्यू मंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के माध्यम से वर्ष 2018-19 के दौरान कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा

जेटी संख्या 8 से लौह अयस्क, फिंज सहित, केओईओसीएल कार्गो नौभार के अंतिम घाटशुल्क प्रभारों का नियतन के प्रस्ताव से संबंधित है।

2. एनएमपीटी के माध्यम से केआईओसीएल द्वारा निर्यातित लौह अयस्क/गुट्टिकाओं के लिए घाट-शुल्क दर का परिकलन 27 मई 1992, को सचिव (जल-भूतल परिवहन मंत्रालय) और सचिव (इस्पात) के बीच हुई अंतर-सचिवालयी बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसार अपनायी गयी प्रणाली के अनुरूप वास्तविक व्यय के हवाले से वार्षिक रूप से किया जाता है। तदनुसार, एनएमपीटी से केआईओसीएल के लौह अयस्क अथवा गुट्टिकाओं के नौभार के लिये घाट-शुल्क के परिकलन में निम्नलिखित घटक शामिल किये जाते हैं:

(i). यातायात विभाग के प्रचालन व्यय का हिस्सा।

(ii). परहस्तित यातायात के अनुपात में निकर्षण व्यय।

(iii). मूल्यह्रास।

(iv). प्रबंधन और प्रशासनिक उपरिव्यय का हिस्सा।

(v). पूंजी पर ब्याज।

(vi). पूंजी पर @ 6% प्रतिफल।

3. वर्ष 2018-19 के दौरान केओईओसीएल द्वारा निर्यातित लौह अयस्क फाईन्स सहित केआईओसीएल कार्गो के लिये 42.365 रु. प्रति एमटी की घाट-शुल्क दर अंतर-सचिवालयी बैठक में लिये गए निर्णय के अनुरूप है। एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ केआईओसीएल के 01 अप्रैल, 2020 के सहमति पत्र संख्या केआई ओसीएल/एफएसी/एमआर/10 की प्रति भी प्रस्तुत की है।

4. चूंकि, दोनों ही पक्ष परस्पर परामर्श की प्रक्रिया से गुजरे है और उनके बीच हुआ पत्राचार दोनों पक्षों की राय प्रकट करता है, इस मामले में अलग से सुनवाई आवश्यक नहीं समझी जाती।

5. प्रस्तावित घाट-शुल्क दर स्वीकृत प्रणाली पर आधारित है। चूंकि दोनों ही पक्ष प्रस्तावित घाट-शुल्क दर पर सहमत है, यह प्राधिकरण एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित दर को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है।

6. तदनुसार, सामुहिक विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण वर्ष 2018-19 के दौरान न्यू मंगलोर पत्तन के माध्यम से केआईओसीएल द्वारा एनएमपीटी की जेटी संख्या 8 से निर्यातित लौह अयस्क फाईंस सहित केआईओसीएल कार्गो के लिए प्रस्तावित 42.365 रु. प्रति एमटी के घाट-शुल्क प्रभार का अनुमोदन करता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन–III/4/असा./228/2020-21]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

## NOTIFICATION

Mumbai, the 8th September, 2020

**No. TAMP/21/2020-NMPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby fixes the wharfage charge for shipment of Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL) cargo including iron ore fines from Jetty No.8 by the KIOCL through the New Mangalore Port Trust during year 2018-19 as in the Order appended hereto.

### Tariff Authority for Major Ports

*Case No.TAMP/21/2020-NMPT*

**New Mangalore Port Trust** ... **Applicant**

**QUORUM:**

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 7th day of September 2020)

This case relates to the proposal dated 23 April 2020 received from the New Mangalore Port Trust (NMPT) for fixation of final wharfage charge for shipment of Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL) cargo including iron ore fines from Jetty No.8 by the KIOCL through the NMPT during year 2018-19.

2. The wharfage rate for the iron ore/ pellets exported by the KIOCL through the NMPT is calculated annually with reference to actual expenditure following the methodology decided in the Inter-Secretarial meeting held on 27 May 1992 between the Secretary (Ministry of Surface Transport) and the Secretary (Steel). Accordingly, the following components are included for calculation of wharfage for shipment of iron ore or pellets of KIOCL from NMPT:

(i). Share of operating expenditure of Traffic Department
(ii). Dredging expenditure proportionate to the traffic handled
(iii). Depreciation
(iv). Share of Management and Administration overheads
(v). Interest on Capital
(vi). Return on Capital @ 6%

3. The proposal for fixation of wharfage rate of ₹42.365 per MT for KIOCL cargo including iron ore fines exported by KIOCL during the year 2018-19, follows the methodology agreed in the inter-Secretarial meeting. The statement of calculation of wharfage for the year 2018-19 submitted by NMPT has been accepted by KIOCL and a copy of the consent letter No.KIOCL/FAC/MR/10 dated 1 April 2020 of KIOCL is also made available by NMPT along with its proposal.

4. Since both the parties have undergone the process of mutual consultation between them and the correspondence exchanged between them reflects the views of both the parties, a separate hearing in this case is not considered necessary.

5. The proposed wharfage rate is based on agreed methodology. Since both the parties have agreed to the proposed wharfage rate, this Authority is inclined to approve the rate proposed by the NMPT.

6. Accordingly, based on a collective application of mind, this Authority approves the proposed wharfage rate for KIOCL cargo including iron ore fines exported by the KIOCL at Jetty No.8 of the NMPT during the year 2018-19 from New Mangalore Port at ₹42.365 PMT.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.–III/4/Exty./228/2020–21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM